

असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056] No. 2056] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर १, २०१४/आश्विन १७, १९३६

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2600(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में, लोक हित में, उक्त नियम के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग करने के पश्चात्, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

# 1. उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट 6 में,—

- (i) पैरा 2 में, 'लोक प्रशासन या प्रबंध' शब्दों के स्थान पर, 'लोक प्रशासन या विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों और पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत आने वाले प्रबंध' शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4. अध्यक्ष, विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों से संबंधित प्रबंध में या लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दों की पर्यावरणीय नीति में अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा।"

[फा. सं. जे.-11013/12/2013-आई.ए.-II(I)(पार्ट)]

ंअजय त्यागी, संयुक<mark>्त सचिव</mark>

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 और का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2014

S.O. 2600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:—

#### In the said notification, in the APPENDIX VI.-

- (i) in paragraph 2, for the words "Public Administration or Management", the words "Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues";
- (ii) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—
  - "4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy related issues, in management or in public administration dealing with various developmental sectors".

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014 and S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014.